

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि.पु.मु. भोपाल 02-06

पंजी क्रमांक भोपाल दिवांजन
म. प्र. 108 भोपाल-06-08



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 मार्च 2006—चैत्र 4, शक 1928

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2006

क्र. 2010-एफ. 13-05-तेरह-2006.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे समस्त क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में घोषित करती है। वशर्ते राज्यपाल ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसे क्षेत्रों को बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया हो या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन ऐसे क्षेत्रों को लघुतर नगरीय क्षेत्र या संक्रमणशील क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया हो और राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ऐसे क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित नहीं किया हो।

No. 2010-F-13-05-XIII-2006.—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government declares all such area, as rural area for the purposes of the said Act, provided that the Governor, in exercise of the powers conferred under section 7 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) has not specified such area as larger urban area or under section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) has not specified such area as smaller urban area or Transitional area and the State Government in exercise of the powers conferred under section 64 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973) has not designated such area as special area.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर.बी. अग्रवाल, अपर सचिव.